



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी / A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

संदर्भ सं. केंका. डीआईसीजीसी सं. एस 15/05-10-068/2021-2022 19 मई 2021
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पी.ओ. और पी.एस.- बगनान,
जिला - हावड़ा, पश्चिम बंगाल पिन कोड- 711303

महोदय,

जमा बीमा योजना, 1961

**पंजीकरण रद्द करना- यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान, पश्चिम बंगाल
(यूसीसीबीडबल्यूबी 00054)**

कृपया 10 मई, 2021 के स्पीकिंग ऑर्डर डीओआर. एमओएन. एलसी-02/12.29.008/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस जो आपको बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(1) के तहत जारी किया गया था, 13 मई, 2021 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल को भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए आदेश जारी करें। अतः हम सूचित करते हैं कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 13 सी (बी) के प्रावधानों के तहत, एक बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक का पंजीकरण 13 मई, 2021 यानी आपके बैंक के कारोबार की समाप्ति की तारीख से रद्द कर दिया गया है।

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400008
दूरभाष 022-23062161, 022-23028268 फैक्स: 022-23018165, 23015662, 23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571, Mumbai Central, Mumbai-400008
Tel: 022-23062161, 022-23028268 Fax: 022-23018165, 23015662 23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाए।



2. आपसे अनुरोध है कि पंजीकरण रद्द करने की तिथि अर्थात 13 मई 2021 को कट-ऑफ जमा बीमा (डीआई) विवरणी जमा करें। तदनुसार आपके बैंक को 13 मई, 2021 तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

3. बैंक को जारी किया गया पंजीकरण का मूल पत्र हमारे रिकॉर्ड के लिए हमें वापस कर दिया जाए। आपसे यह भी अनुरोध है कि केंद्र/राज्य विधान, जिसके तहत बैंक पंजीकृत है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति हमें अग्रेषित करें।

4. आपको आगे सलाह दी जाती है कि अगले प्रीमियम चक्र से डीआईसीजीसी को प्रीमियम जमा करना बंद कर दें, क्योंकि आपका बैंक एक बीमित बैंक के रूप में विपंजीकृत है।

भवदीया,

ह/-

पवनजीत कौर ऋषि

(उप महाप्रबंधक)



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी / A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

उक्त दिनांक का परांकन केंका. डीआईसीजी.आईओडी. सं . एस 16, एस 17, एस18/05-10-068/2021-2022

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई:

- 1) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व) - 400051
- 2) मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001
- 3) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सहकारी निदेशालय नया सचिवालय भवन (चौथी मंजिल), 1, केएस रॉय रोड, कोलकाता-700 001, दूरभाष: 2248-3118

ह/-

(मानसी गर्ग)

सहायक महाप्रबंधक